

चाहते हैं।

al.itr@

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू कैम्प. रूपोही कला


क्रमांक: राजस्व / 2021 /

दिनांक : / / 2021

आदेश

आवेदक श्री..... ने
 तहसील कोटखावदा में ग्राम शैमचन्द स्थित आराजी
 खन..... रकबा चीमापुरा के संबंध में जमाबन्दी
 सम्वत्..... 2076-79 के खाता संख्या..... 55 पर अंकित प्रविष्टि
 दुरुस्त कराने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी हल्का द्वारा जाँच की जाकर ग्राम
चीमापुरा की जमाबन्दी के खाता संख्या..... 55 की प्रविष्टि के
 स्थान पर शैमचन्द पुत्र रामधन
 किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार कोटखावदा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के
 अनुसार जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने की अभिशंषा की है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत
 पटवारी हल्का..... रामनगर की रिपोर्ट व तहसीलदार कोटखावदा
 की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी श्री..... शैमा पुत्र
 श्री..... रामधन जाति..... खाती निवासी..... चीमापुरा
 तहसील कोटखावदा के आवेदन पर जमाबन्दी सम्वत्..... 2076-79
 के खाता संख्या..... 55 में अंकित प्रविष्टि शैमा पुत्र
 के स्थान पर शैमचन्द पुत्र रामधन
 किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन
 किया जावे।



 शिविर प्रभारी
 उपखण्ड अधिकारी
 चाकसू (जयपुर)

क्रमांक: राजस्व / 2021 /

दिनांक : / / 2021

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है-

1. तहसीलदार कोटखावदा
2. पटवारी हल्का..... रामनगर


 उपखण्ड अधिकारी
 चाकसू (जयपुर)